

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 2480 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, मई 29, 2021.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लोल्टी कस्बीनगर मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्तावों पर लगायी गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

Proposal No. - FP/UK/ROAD/32572/2018

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग का पत्रांक 4063 / 12-1 दिनांक 05.05.2021
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग, द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग थराली द्वारा प्रस्ताव में लगी आपत्ति का निराकरण निम्नानुसार प्रभागीय कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

- एस0आई0आर0 रिपोर्ट पार्ट II के Additional information में अपलोड कर दी गयी है तथा हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
- विभाग द्वारा मात्र दो समरेखणों पर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है भौगौलिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप सर्वोधिक उपयुक्त समरेखण को सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। मार्ग के अन्तिम बिन्दु को जोड़ने हेतु कोई भी तीसरा वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं है। जिस समरेखण को स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया उसी समरेखण में ग्रामवासियों द्वारा सहमति दी गयी है तथा उक्त समरेखण पर न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम बिन्दु से भविष्य में गैरसैण राजधानी क्षेत्र से भी जोड़ा जाना है। इस कारण समरेखण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0एन0पाण्डेय)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 4063/ 12-1, गोपेश्वर,

दिनांक

05/05

2021।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,

कार्यालय— अपर प्रमुख वन संरक्षक,

वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, इन्द्रानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लोल्टी कस्बीनगर मोटर मार्ग के वन मूमि प्रस्तावों पर लगायी गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

इ0डी0एस0 दिनांक 06.04.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली द्वारा प्रस्ताव में लगे आपत्तियों का निराकरण कर निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

1— एस0आई0आर0 रिपोर्ट पार्ट ॥ के additional information में अपलोड कर दी गयी है तथा

हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2— विभाग द्वारा मात्र दो समरेखणों पर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है भौगोलिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप सर्वाधिक उपयुक्त समरेखण को सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदन किया जाता है। मार्ग के अन्तिम विन्दु को जोड़ने हेतु कोई भी तीसरा वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध नहीं है। जिस समरेखण को स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किया गया उसी समरेखण में ग्रामवासियों द्वारा सहमति दी गयी है तथा उक्त समरेखण पर न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। प्रस्तावित मार्ग के अन्तिम विन्दु से भविष्य में गैरसैंण राजधानी क्षेत्र से भी जोड़ा जाना है। इस कारण समरेखण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

★

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Site Inspection Report-

(For the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A Proposal has been received by this office from Executive Engineer PWD Tharali for Diversion (Under FCA 1980) of 0.188 ha, Forest land for non-forestry purpose. The Project envisages transfer of forest land for Construction of Lolti kasbinagar Motor Road. The Site Inspection was done by Dfo Badrinath forest divison on dated 26-12-2018.

5.2 On Inspection of the site, It is found that the land required by the user agency is a forest area measuring 0.188 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in column no-2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project-Yes

5.4 Whether any rare/endangered unique Species of flora and fauna in the area- No

5.5 Whether any Protected Archaeological/heritage site/defined establishment or any other important Mounment is located in the area, if so, the details thereof with NOC from competent authority, if required:- No.

- a) The user agency has not violated the provision of forest Conservation act, 1980 and no work has been started without proper sanction- yes.
- b) It has been found that the user agency has violated (Conservation) Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. Not applicable.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommendation for acceptance of proposal for diversion of 0.188 ha of forest land for Construction of Lolti kasbinagar Motor Road .

Place- Gopeshwar
Date- 01/05/2021


Name- (Ashutosh Singh)
Designation-Divisional Forest Officer,
Badrinath Forest Division, Gopeshwar
Office Seal